Residential Property
TRIBUNAL SERVICE

Ref no. *(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)*

आवेदन फ़ॉर्म

भाग IV लैण्डलॉर्ड एण्ड टैनअन्ट एक्ट 1987

लीस या लीसो के रूपान्तर के लिये आवेदन पत्र

यदि आप लीसहोल्ड वैल्यूएशॅन ट्रिब्यूनल (एल वी टी) को लैण्डलॉर्ड एण्ड टैनअन्ट एक्ट1987 के भाग IV के अधीन किसी लीस या लीसो मे रूपान्तर करने के लिये कहना चाहते हैं तो प्रयोग करने के लिये यह सही फ़ॉर्म है।

सैक्शॅन 5 मे उल्लेख किये दस्तावेज़ो के इलावा कृप्या इस आवेदन फ़ॉर्म के साथ कोई अन्य दस्तावेज़ न भेजें। जब और जहां और सबूतो की जरूरत होगी आपको उन्हें अलग से भेजने के लिये कहा जायेगा। कृप्या इस आवेदन फ़ॉर्म को लीस की एक कापी के साथ उपयुक्त पैनल के दफतर भेज दें (पैनल के पते के लिये पेज 7 देखें)

यदि इस फ़ॉर्म को भरने या जो कार्यविधि ट्रिब्यूनल प्रयोग करेगा के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, कृप्या हमें इस नम्बर पर फोन करे 0845 600 3178

1. निवेदक(कों) का ब्योरा (यदि अनेक आवेदक हैं तो कृप्या अलग शीट पर जारी रखें)

नाम: ______________________

पता (पोस्ट कोड शामिल करते हुये): ______________________

____

____

पत्र व्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो): ______________________

____

____

टैलीफोन दिन के समय: __________ *शाम :* __________ *मोबाइल:* __________

ईमेल का पता: __________ *फैक्स:* __________

स्थिति (जैसे कि लैण्डलॉर्ड, टैनअन्ट/मैनेजिन्ग एजन्ट): ______________________

प्रतिनिधि का ब्योरा: ______________________

____

____

जहां प्रतिनिधि का ब्योरा दिया गया है, सारा पत्र व्यवहार और आदान प्रदान उन्ही के साथ होगा जब तक ट्रिब्यूनल को सूचित नही किया जाता कि वह आगे के लिये कार्य वाहक नही हैं।

2. पता (पोस्ट कोड शामिल करते हुये) सम्पत्ति का (यदि पहले नही दिया)

____

____

____

3. इमारत का संक्षेप मे वर्णन (जैसे कि: 12 फलेटो के साथ विक्टोरियन मैनशॅन बलोक)

____

____

____

4. प्रतिवादी (यो) का ब्योरा) (लीस(सो) की सभी अन्य पार्टीयो को प्रतिवादी जरूर बनाया जाना चाहिये। यदि अनेक प्रतिवादी हैं तो कृप्या नीचे और अलग शीट पर जारी रखें)।

नाम:

पता (पोस्ट कोड शामिल करते हुये):

पत्र व्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो):

टैलीफोन दिन के समय: *शाम मे:* *मोबाइल:*

ईमेल का पता: (यदि मालूम हो) *फैक्स:*

स्थिति (जैसे कि लैण्डलॉर्ड/ मैनेजर/ आर टी एम कम्पनी):

प्रतिवादी (जारी)

नाम:

पता (पोस्ट कोड शामिल करते हुये):

पत्र व्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो):

टैलीफोन दिन के समय: *शाम मे:* *मोबाइल:*

ईमेल का पता: (यदि मालूम हो) *फैक्स:*

स्थिति (जैसे कि लैण्डलॉर्ड/ मैनेजर/ आर टी एम कम्पनी):

नाम:

पता (पोस्ट कोड शामिल करते हुये):

पत्र व्यवहार के लिये पता (यदि अलग हो):

टैलीफोन दिन के समय: *शाम मे:* *मोबाइल:*

ईमेल का पता: (यदि मालूम हो) *फैक्स:*

स्थिति (जैसे कि लैण्डलॉर्ड/ मैनेजर/ आर टी एम कम्पनी):

5. ट्रिब्यूनल द्वारा विचार करने के लिए लीस मे रूपान्तर

लैण्डलार्ड एण्ड टैनअन्ट एक्ट 1987 के सैक्शॅन 35, 36,37, और 40 के अधीन आवेदन करने के लिये इस फ़ॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है।

कृप्या निम्न लिखित जानकारी साथ जुड़ी शीट जिसका शीर्षक है लीस वैरीएशॅन डिटेल्स (पेज 6) या अलग दस्तावेज़ मे ब्योरा प्रदान करें।

(ए) *लीस की तिथी।*

(बी) *लीस की उपयुक्त शर्ते, जिसमे कोई पहले किये रूपान्तर शामिल हो।*

(सी) *जो रूपान्तर चाहिये उसका ड्राफ्ट।*

(डी) *क्लेम के आधार।*

कृप्या आवेदन फ़ार्म के साथ निम्न लिखित दस्तावेज़ शामिल करें:

(ए) *उपयुक्त लीसो की कापीयां।*

(बी) *सभी व्यक्ति जो क्लेम से प्रभावित हो सकते हैं उनके नाम और पते और एक ब्यान कि उनमे से हर एक व्यक्ति को आवेदन का नोटिस दे दिया गया है। (मार्गदर्शन के लिये नोटस देखें)*

मार्गदर्शन के लिये नोट

लैण्डलार्ड एण्ड टैनअन्ट एक्ट 1987 के सैक्शॅन 35 और लीसहोल्ड वैल्यूएशॅन ट्रिब्यूनल (कार्य विधि)(इंगलैण्ड) रैगुलेशन 2003 की मांग है कि एक आवेदन कर्ता उन सभी व्यक्तीयो को सूचित करे जो उसे पता है कि किये जा रहे आवेदन से प्रभावित होंगे। प्रभावित होने वाले लोगो मे शामिल हो सकते है (पर इन्ही तक सीमित नही है) फ्लेटो के उसी ब्लाक में अन्य लीस होल्डरस या कोई मोर्टगेज देने वाले या उच्च लैण्डलार्ड।

6. अन्य आवेदन

क्या आपको किसी अन्य केसो के बारे मे पता है जिनमे इनमे से कुछ शामिल हों:

(ए) *लीस या लीसो के रूपान्तर के लिये इस आवेदन पत्र मे दिये मुद्दो जैसे या इनसे मिलते जुलते मुद्दे: या*

(बी) *इस आवेदन पत्र मे दिये लैण्डलार्ड या टैनअन्ट या टैनअन्ट या सम्पत्ति?*

यदि हां, कृप्या ब्योरा दें।

____

____

____

____

____

7. कीमतो के प्रतिबंध

यदि आप एक टैनअन्ट हैं, क्या आप एक सैक्शॅन 20C का आवेदन कराना चाहेंगे (मार्गदर्शन के लिए नोट देखें) *हां* ☐ *नही* ☐

यदि हां, कयों?

____

____

____

____

मार्गदर्शन के लिए नोट

कुछ लीसे लैण्डलार्ड को आज्ञा देती है कि वह एल वी टी के सामने की गई कार्यवाही से सम्बन्धित खर्चो की सरविस चार्ज के भाग के तौर पर वसूली कर सकते है। लैण्डलार्ड और टैनअन्ट एक्ट 1985 का सैक्शॅन 20 सी ट्रिब्यूनल को ताकत देता है, एक टैनअन्ट द्वारा किये गये आवेदन पर, हुक्म जारी करने की जो लैण्डलार्ड को यह कदम उठाने से रोक सके। यदि आप एक टैनअन्ट हैं तो आपको यहां सपष्ट करना चाहिये कि क्या आप चहते हैं कि ट्रिब्यूनल यह हुक्म जारी करने के लिये विचार करे।

8. क्या हम बिना सुनवाई के आपके आवेदन के साथ निपट सकते हैं?

यदि ट्रिब्यूनल उपयुक्त समझे, और सभी पार्टीयां स्वीकार करें, यह हो सकता है कि आपके आवेदन पर केवल लिखित प्रतिनिधिता और दस्तावेज़ो के आधार पर और पार्टीयों की ज़ुबानी प्रतिनिधिता करने की जरूरत के बिना विचार किया जाये। इसका अर्थ है कि आपको हियरिंग फीस के £150 नही देने पडेंगे पर इसका यह भी अर्थ है कि आप अपने केस की व्याख्या खुद नही कर सकेंगे।

कृप्या हमें बताए यदि ट्रिब्यूनल इसे उपयुक्त समझे तो क्या आप अपने आवेदन को कागज़ पर हल करने से खुश हैं । *हां* ☐ *नही* ☐

नोट करें: चाहे आपने कागज़ी कार्यवाही से फैसला करने के लिये कहा हो ट्रिब्यूनल निर्णय ले सकती है कि सुनवाई जरूरी है। कृप्या सैकशॅन 9 और 11 को पूरा करें यह मानते हुये कि सुनवाई होगी।

9. ट्रैक प्राथमिकताये

हमें तय करना पडेगा कि क्या हम केस के साथ फास्ट ट्रैक या स्टैन्डर्ड ट्रैक के तौर पर व्यवहार करें (ट्रैक क्या है जानने के लिये मार्गदर्शन का नोट देखें)। कृप्या हमें बताएं कि इस केस के लिये आप किस ट्रैक को उपयुक्त मानते हैं।

फास्ट ट्रैक ☐ *स्टैन्डर्ड ट्रैक* ☐

इस केस मे अत्यावश्यकता के लिये क्या कोई खास वजह है? *हां* ☐ *नही* ☐

यदि है, कृप्या स्पष्ट करें कितनी अत्यावश्यकता है और क्यों: ____________________

____

____

____

मार्गदर्शन के लिए नोट

ट्रिब्यूनल आम तौर पर तीन मे से किसी एक तरीके से केस को हल करेगी:कागज़ पर (उपर सैक्शॅन 8 देखें)या "फास्ट ट्रैक" या स्टैन्डर्ड ट्रैक"। फास्ट ट्रैक उन केसो के लिये है जिनको सुनवाई की जरूरत होती है पर वह बहुत सीधे होते है और बहुत अधिक पेपर वर्क या बहस पैदा नही करते। एक फास्ट ट्रैक केस की आम तौर पर आपके आवेदन के तकरीबन 10 सप्ताह में सुनवाई हो जाएगी आपको यहां संकेत देना चाहिये यदि आप समझते हैं कि आपका केस बहुत सरल है और आसनी से हल किया जा सकता है। स्टैन्डर्ड ट्रैक अधिक पेचीदा केसो के लिये तैयार किया गया है जहां अनेक मुद्दो पर निर्णय होना हो या जहां उदाहरण के तौर पर, बहुत से दस्तावेज़ शामिल हों। स्टैन्डर्ड ट्रैक मे पार्टीयो को एक प्री-ट्रायल के लिये अमन्वित करना शामिल हो सकता है जो एक बैठक होती है जिसमे केस को अन्तिम सुनवाई तक ले जाने वाले कदमो के बारे मे विचार किया जा सकता है।

10. उपलब्धि

यदि कोई ऐसे दिन या तारीखे हैं जिन्हें अगले तीन महीने में प्रयोग करने से हम गुरेज़ करें तो (आपकी सहुलत के लिये या किसी माहिर की सहुलत के लिये जिसे आप बुलाना चहते हैं) कृप्या उनकी सूची यहां दें।

तारीखें जिनपर आप उपलब्ध **नही** *होंगे:* ____________________

____

____

11. स्थान की जरूरतें

यदि आपकी या आपके साथ आने वाले किसी की कोई खास आवश्यकतायो हैं तो कृप्या उनका ब्योरा प्रदान करें (जैसे कि व्हील चेअर का प्रयोग/या दुभाषीये का मौजूद होना):

____

____

____

____

मार्गदर्शन के लिए नोट

लंडन में, केस आम तौर पर केस अल्फ्रेड प्लेस मे सुने जाते है जो पूरी तरह व्हील चेअर द्वारा पहुँच के योग्य है। अन्य स्थानो पर, सुनवाई लोकल सम्मेलन स्थानो में होती है जो सभी इतनी आसानी से पहुँच के योग्य नही हैं और कलर्को को यह जानना लाभकारी लगेगा यदि आपकी या आपके साथ सुनवाई पर आने वाले किसी की इस प्रकार की कोई खास जरूरत है।

12. चैकलिस्ट

कृप्या चैक करें कि आपने यह फार्म पूरी तरह भरा है। ट्रिब्यूनल तब तक आपके आवेदन पर कार्यवाही नही करेगा जब तक यह नही होता । कृप्या निश्चित करें कि आपके आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ लगाये हैं:

लीस या लीसो की एक कापी संलग्न की गई है। ☐

जो व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं और जिनको आवेदन के नोटिस जारी किये गये हैं उनके नामो और पतो की एक सूची संलग्न की गई है। ☐

जो रूपान्तर चाहिये उसका ड्राफ्ट संलग्न किया गया है।

संलग्न की गई फीस की रकम £ ____________________ *कृप्या जो चैक आप भेजें उसके पीछे अपना नाम और पता लिख दें।*

किसी भी हालत मे नकदी न भेजें। नकद अदायगी स्वीकार नही की जायेगी और जिस आवेदन के साथ नकदी भेजी जायेगी उसे प्राथी को वापिस लौटा दिया जायेगा।

कृप्या केवल आवेदन फार्म, उपर सूची में दिये दस्तावेज़, आवेदन की फीस ही भेजें और कुछ नही।

मार्गदर्शन के लिए नोट

आवेदन की फीस की रकम रिहायशो की संख्या पर आधारित होगी जिनसे आवेदन सम्बन्धित है। यह जानने के लिये कि आपको कितना भुगतान करना चहिये निम्न लिखित टेबल को देखें:

रिहायशो की संख्या जिनसे आवेदन सम्बन्धित है	**आवेदन की फीस**
5 य इससे कम रिहायशे	*£150*
6 और 10 के बीच रिहायशे	*£250*
10 से अधिक रिहायशे	*£350*

फीस क्रोसड चैक जो पेएबल हो, या पोस्टल आडर जो डरा किया गया हो डिपार्टमैंट फॉर कम्यूनिटीस एन्ड लोकल गवरमैंट के फेवर में द्वारा अदा की जानी चाहिये।

फीस और माफी

आप फीस देने के लिये ज़िम्मेवार नही होंगे यदि आपको या आपके पार्टनर को मिल रहा है:

- *इंकम स्पोर्ट*
- *हाउसिन्ग बेनेफिट*
- *इंकम पर आधारित जोब सीकरस अलाउन्स*
- *एक वर्किन्ग टैक्स क्रैडिट जहां:*
  - ***उस** क्रैडिट मे या तो असमर्थता का तत्व या बहुत अधिक असमर्थता का तत्व **या फिर** वह चाइल्ड टैक्स क्रैडिट के साथ मिला है **और***
  - *वर्किन्ग टैक्स क्रैडिट का जोड करने के लिये ग्रोस सालाना आमदनी है £14,213 या इससे कम*
- *स्टेट पैनशनस क्रैडिट एक्ट 2002 के अनुसार एक गारन्टी क्रैडिट*
- *फन्डिंग कोर्ड (लीगल एड)के अनुसार एक चालू सर्टीफकेट जारी होना जो ट्रिब्यूनल के सामने कार्यवाहीयो के लिये है, जो सारा या जिसका एक भाग एक ट्रिब्यूनल के सामने निर्णय क लिये काउन्टी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया है।*

यदि आप फीस माफ करना चाहते है तो आपको आपको एक अन्य फार्म भरना पडेगा जो पैनल के दफतर से उपलब्ध है। वेवर फार्म की कापी कार्यवाही मे अन्य पार्टीयो को नही दी जाएगी।

यदि आप एक ही समय अनेक आवेदन कर रहे हैं तो, चहे आप अलग अलग आवेदन फार्मो का प्रयोग करते है या आवेदन ट्रिब्यूनल जूरीसडिक्शन के आलग अलग भागो से सम्बन्धित हैं, आपको हर आवेदन के लिये अलग से फीस नही देनी पडेगी। पूरी फीस एक आवेदन के लिये सबसे बडी अदा की जाने वाली फीस की रकम होगी।

यदि फीस की रकम बारे मे आपकी कोई शंका है या इस फार्म को कैसे भरना है के बारे मे आपके कोई प्रश्न हैं तो कृप्या रैसीडैनशियल प्रोपर्टी ट्रिब्यूनल सरविस हैल्पलाईन को इस नम्बर पर फोन करें 0845 600 3178.

13. सच्चाई का बयान

मेरा यकीन है कि इस आवेदन में दिये गये तथ्य सत्य हैं।

हस्ताक्षर: ______________________________ *तिथी:* ______________________________

लीस रूपान्तर का ब्योरा

कृप्या नीचे दिये स्थान का प्रयोग मुख्य आवेदन फार्म के सैक्शॅन 5 मे बताए हर साल के बारे में जानकारी देने के लिये करें।

आपको बाद मे अपने केस के बारे मे और ब्योरा देने का और ट्रिब्यूनल को इसे सपोर्ट करने वाले दस्तावेज़ प्रदान करने का मौका दिया जायेगा। इस स्टेज पर आपको अपने आवेदन की स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करनी चाहिये ताकि ट्रिब्यूनल समझ सकें कि आपका आवेदन किस बारे मे है। यदि आवश्यक हो तो कृप्या अलग शीट पर जारी रखें।

यह आवेदन लैण्डलार्ड एण्ड टैनअन्ट एक्ट 1987 के अन्तगत किया गया है।

सैक्शॅन 35 ☐ *सैक्शॅन* 37 ☐

सैक्शॅन 36 ☐ *सैक्शॅन* 40 ☐

क्लेम के आधार

लीस (सो) की तिथी और टर्म

लीस (सो) की उपयुक्त शर्तें

जो रूपान्तर चाहिये उसका ड्राफ्ट

एनैक्स: आर पी टी पैनल दफ़्तरो के पते

नोर्थन रैन्ट असैसमैंट पैनल

First Floor, 5 New York Street,
Manchester M1 4JB

टैलीफोन: 0845 100 2614 or 01612 379491
फैक्स: 0161 237 3656 or 0161 237 9491

यह आफिस नीचे लिखे मैट्रोपोलीटन डिसट्रिक्टस को कवर करता है: Barnsley, Bolton, Bradford, Bury, Calderdale, Doncaster, Gateshead, Kirklees, Knowsley, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle-upon-Tyne, Oldham, Rochdale, Rotherham, St. Helens, Salford, Sefton, Sheffield, Stockport, Sunderland, Tameside, Trafford, Tyneside (North & South), Wakefield, Wigan and Wirral.

यह नीचे लिखी युनिट्री अथार्टीयो को भी कवर करता है: Hartlepool, Middlesborough, Redcar and Cleveland, Darlington, Halton, Blackburn with Darwen, Blackpool, Kingston-upon-Hull, East Riding of Yorkshire, Northeast Lincolnshire, North Lincolnshire, Stockton-on-Tees, Warrington and York.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cheshire, Cumbria, Durham, Lancashire, and Lincolnshire.

मिडलैण्ड रैन्ट असैसमैंट पैनल

2nd Floor, Louisa House, 92-93 Edward Street,
Birmingham B1 2RA

टैलीफोन: 0121 236 7837
फैक्स: 0121 236 9337

यह आफिस नीचे लिखे मैट्रोपोलीटन डिसट्रिक्टस को कवर करता है: Birmingham, Coventry, Dudley, Sandwell, Solihull, Walsall and Wolverhampton.

यह नीचे लिखी युनिट्री अथार्टीयो को भी कवर करता है: Derby, Leicester, Rutland, Nottingham, Herefordshire, Telford and Wrekin and Stoke-on-Trent.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Derbyshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, Warwickshire and Worcestershire.

इर्स्टन रैन्ट असैसमैंट पैनल

Great Eastern House, Tenison Road,
Cambridge CB1 2TR

टैलीफोन: 0845 100 2616 or 01223 505112
फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिट्री अथार्टीयो को भी कवर करता है: Bracknell Forest, West Berkshire, Reading, Slough, Windsor and Maidenhead, Wokingham, Luton, Peterborough, Milton Keynes, Southend-on-Sea and Thurrock.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Essex, Hertfordshire, Norfolk, Northamptonshire, Oxfordshire and Suffolk.

सदर्न रैन्ट असैसमैंट पैनल

1st Floor, 1 Market Avenue,
Chichester, PO19 1JU

टैलीफोन: 0845 100 2617 or 01243 779394
फैक्स: 01223 505116

यह आफिस नीचे लिखी युनिट्री अथार्टीयो को भी कवर करता है: Bath and Northeast Somerset, Bristol, North Somerset, South Gloucestershire, Bournemouth, Plymouth, Torbay, Poole, Swindon, Medway, Brighton and Hove, Portsmouth, Southampton and the Isle of Wight.

यह नीचे लिखी काउन्टीस को भी कवर करता है: Cornwall and the Isles of Scilly, Devon, Dorset, East Sussex, Gloucestershire, Hampshire, Kent, Somerset, Surrey, West Sussex and Wiltshire.

लंडन रैन्ट असैसमैंट पैनल

10 Alfred Place,
London WC1E 7LR

टैलीफोन: 020 7446 7700
फैक्स: 020 7637 1250

यह आफिस सारी लंडन बारो को कवर करता है।